



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052026-272253  
CG-DL-E-05052026-272253

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2130]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2026/वैशाख 15, 1948

No. 2130]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2026/VAISAKHA 15, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2026

का.आ. 2217(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1217 तारीख 09/03/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में NH11 के कि.मी. 0 से कि.मी.101.197 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 19/03/2026 को "दैनिक भास्कर", 19/03/2026 को "राजस्थान पत्रिका" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में NH11 के कि.मी. 0 से कि.मी.101.197 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: जैसलमेर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जैसलमेर					
गांव का नाम: जैसलमेर (ग्रामीण)					
1	482	सरकारी	गै.मु.आबादी	2	नगर पालिका जैसलमेर
2	688	सरकारी	गै.मु.आगोर	0.4807	नगर पालिका जैसलमेर
3	689	सरकारी	गै.मु.आगोर	0.3735	नगर पालिका जैसलमेर
4	693	सरकारी	गै.मु.आगोर	1.417	नगर पालिका जैसलमेर
5	694	सरकारी	गै.मु.आगोर	0.0782	नगर पालिका जैसलमेर
<b>Total</b>				<b>4.3494</b>	

[फा. सं. NHA/LA/Jsm-Myajlar-Sundra/2025/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2026

**S.O. 2217(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1217 Dated:09/03/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation

of NH 11 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 101.197 in the district of JAISALMER in the state of RAJASTHAN;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” dated 19/03/2026 , “Rajasthan Patrika” dated 19/03/2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH11 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 101.197 in the district of JAISALMER in the state of RAJASTHAN.**

State: RAJASTHAN			District: JAISALMER		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Jaisalmer</b>					
<b>Village: Jaisalmer (Rural)</b>					
1	482	Government	Gai.Mu.Abadi	2	Municipal Council Jaisalmer
2	688	Government	Gai.Mu.Agor	0.4807	Municipal Council Jaisalmer
3	689	Government	Gai.Mu.Agor	0.3735	Municipal Council Jaisalmer
4	693	Government	Gai.Mu.Agor	1.417	Municipal Council Jaisalmer
5	694	Government	Gai.Mu.Agor	0.0782	Municipal Council Jaisalmer
<b>Total</b>				<b>4.3494</b>	

[F. No. NHAI/LA/Jsm-Myajlar-Sundra/2025/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director